

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाइ

(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी - श्री रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 65/2020

अनवान मुकदमा -

1. बलजिन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. जगरूप सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अंशुमन पुत्र बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सेमजीत कौर पत्नी जसकरण सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. वीरपाल कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन संगतकलां तहसील संगत जिला बठिण्डा पंजाब।
5. सुखपाल कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. चरणजीत कौर पत्नी जवाहर सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. रमनीत कौर पत्नी सुखवंत सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख साकिन सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. अमृतपाल पुत्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

--: निर्णय ::-

दिनांक - 19/01/2020




वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा, अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका, अधिवक्ता, राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 9 इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

रणजीत कुमार एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 41/39 प0न0 45/282 मु0न0 46 कि0न0 2 ता 12, 13/1/0.1260, 13/2/0.1270, 14 ता 25 की 5.8190 है0 अनकमाण्ड, प0न0 45/283 मु0न0 53 कि0न0 1,2,9 ता 12, 17 ता 20 की 2.2770 है0 अनकमाण्ड व 0.253 है0 नहरी व प0न0 51/283 मु0न0 59 कि0न0 8,9,12,13,18,19,22 की 1.0120 है0 अनकमाण्ड व 0.759 है0 नहरी इस प्रकार कुल 10.120 है0 (9.1080 है0 अनकमाण्ड व 1.012 है0 नहरी) खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से वादी को 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादी सं.1 को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं.2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 4 एलजीडब्ल्यू ए के खाता संख्या 13/15 प0न0 49/289 मु0न0 22 के कि0न0 1/1/0.228 नहरी, 1/2/0.025 गै0मु0 रास्ता, 2/1/0.228 नहरी, 2/2/0.025 गै0मु0 रास्ता, 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै0मु0 रास्ता, 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै0मु0 रास्ता, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै0मु0 रास्ता, 6 ता 10, 13/1/0.1270, 14, 15 की 3.163 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं.2 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादी सं.2 को प्राप्त भूमि में से प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (रणजीत कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर एवं  
 पदेन सहायक कलैक्टर  
 पीलीबंगा